अधिकारी

…लय उपखण्ड ……………… कठूमर जिला अलवर

2/84/2021

तारीख रजू……………………

रामवीर बनाम रामदयाल वगैरा

…हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
…2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्वर 33, 32, 34, 36, 263, 35, 31, 29, 30, 23/533, 165/516, 25, 402, 416, 424, वाके ग्राम सहंजपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के जोतने वोने सिमेटने मे बाधा उत्पन्न ना करें रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 10.08.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 10.08.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10/8/21	मुकदमा पेशी … वाहन … पत्रावली दिनांक …/12/21 को पेश हो।	
3/12/21	पत्रावली … कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान…… नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका अतः पत्रावली दिनांक …	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.02 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़	नम्बर व अहकाम जो की तामील
4/3/24	निगुर्वाह रजिस्टर्ड/P.O. द्वारा अन्य कार्य हेतु कार्यवाही दिनांक 29/4/24 को पेश हो। [illegible]	रामवीर मैं मुकदमे को नहीं चलाना चाहता हूं [illegible]
15/4/24	पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व [illegible] के साथ पेश हुए। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर अपने प्रा० पत्र परिवाद को वापिस लेकर खारिज करवाये जाने का निवेदन किया। प्रा० पत्र पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी सं-2 को [illegible] से Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार [illegible] होकर मुहाफिज खाना के साथ संलग्न रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	वादी सं० 2 की तरफ से not press [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.02 17:15:36 IST
Reason: SelfAttested